209

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3754–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–9–2013 पारित द्वारा तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 17/अ–27/2012–13.

1. विश्वनाथ सिंह तनय स्व0 चन्द्रभान सिंह
2. सागर सिंह तनय स्व0 चन्द्रभान सिंह
3. शेखराज सिंह तनय स्व0 चन्द्रभान सिंह
4. शेखपाल सिंह तनय स्व0 चन्द्रभान सिंह

निवासी ग्राम दादर तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. कृष्णपाल सिंह तनय स्व0 श्री कमलभान सिंह
   निवासी ग्राम दादर तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2. बृद्धिमती देवी सिंह पुत्री स्व0 चन्द्रभान सिंह पत्नी मलखान सिंह
   निवासी ग्राम कोटर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
3. विष्णुपाल सिंह तनय स्व0 केमलभान सिंह
4. घनश्याम सिंह तनय स्व0 केमलभान सिंह

   दोनों निवासी ग्राम दादर तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
5. सुशीला देवी पुत्री स0 केमलभान सिंह पत्नी मोहनसिंह
6. शान्ति देवी पुत्री स्व0 केमलभान सिंह पत्नी बृजमोहन सिंह

   निवासी ग्राम देबीपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना
7. जनकदुलारी पत्नी स्व0 केमलभान सिंह
8. सन्तोष सिंह पत्नी श्री अतिबल सिंह
9. विजय सिंह तनय अतिबल सिंह
10. विनोद सिंह तनय अतिबल सिंह
11. लल्लू सिंह तनय अतिबल सिंह

    सभी निवासी ग्राम दादर तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
12. मुड़िया पुत्री स्व0 श्री अतिबल सिंह
13. बिट्टी पुत्री स्व0 श्री अतिबल सिंह

सभी निवासी ग्राम दादर तहसील हुजूर जिला
रीवा म0प्र0

———— अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/6/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के आदेश दिनांक 10–9–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने आवेदकगण एवं अनावेदकगण की सामिलाती भूमि पर संहिता की धारा 110 एवं 178 के अंतर्गत नामांतरण/विभाजन की मांग की। तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 17/अ–27/2012–13 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की। आवेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि व्यवहार वाद लंबित है इसलिए नामान्तरण/विभाजन की कार्यवाही न की जावे। तहसीलदार ने आपत्ति आवेदन पर उभय पक्ष को सुनकर आदेश दिनांक 10–9–13 पारित किया तथा आपत्ति आवेदन अमान्य कर दिया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक पेशी दिनांक 16–11–16, 15–3–17, 20–3–17 एवं 26–4–17 पर निरन्तर अनुपस्थित रहे है एवं उन्होंने न्यायालय में पेशी दिनांक 29–10–16 के उपरांत यह जानने का प्रयास नहीं किया कि प्रकरण में आगे क्या कार्यवाही हो रही है। अनावेदकगण के अभिभाषक के 26–4–17 को तर्क सुने गये। न्यायदान की दृष्टि ये प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त न किया जाकर गण–दोष के आधार आदो पारित किया जा रहा है।

4/ प्रकरण के अवलोकन पर परिलक्षित है कि आवेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति की है कि अभी व्यवहार वाद लम्बित है इसलिये नामान्तरण/विभाजन कार्यवाही न की जावे। इस आपत्ति पर पक्षकारों को सुनकर तहसीलदार हुजूर ने अंतरिम आदेशदिनांक 10–9–13 में निम्नानुसार निर्णय लिया है–

"मान0 सिविल न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन आदेश भी नहीं है म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178(1–ए) के तहत खाते के विभाजन की कार्यवाही अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों के अनुसार की जाना चाहिये। अतएव अनावेदक कमांक 1 से 4 की आपत्ति निरस्त की जाती है।"

तहसीलदार हुजूर द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 10–9–13 से लिया गया निर्णय उचित है क्योंकि आवेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष व्यवहार न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है। व्यवहार न्यायालय से जो आदेश होंगे, तद्नुसार राजस्व अभिलेख अद्यतन किया जावेगा, जिसके कारण बटवारा कार्यवाही रोका जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाकर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर